1.5

प्रपत्र–11

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लमचूला–गनीगांव मोटर मार्ग का निर्माण ।

परियोजना का औचित्य

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 694/ 2015 के अन्तर्गत राज्य योजना में शासनादेश संख्या 4417/ 111(2)/ 15–04(मु.मं.घो)/2015 दिनांक 27.05.2015 द्वारा जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र, बागेश्वर के अन्तर्गत गरूड़ ब्लौक के लमचूला से गनीगांव तक मोटर मार्ग 3.00 कि0मी0 लम्बाई एवं रू0 21.36 लाख की (प्रथम चरण–वनभूमि की स्वीकृति आदि कार्यों हेतु) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

विधान सभा बागेश्वर के विकास खंड गरूड़ अन्तर्गत ग्राम लमचूला जनसंख्या (657) एवं गनीगांव (631) कुल 1288 आवादी को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा लमचूला में ई0एन0एम0 सैन्टर खोला गया है। यातायात की समुचित व्यवस्था न होने से स्थानीय जनता को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा हैं। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा डंगोली–सैलानी मोटर मार्ग से गनीगांव तक 6 कि0मी0 मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें सर्वेक्षण उपरान्त भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/ 77/ 2008/ एफ्.सी./ 1708 दिनांक 17.01.2009 द्वारा 3.17 है0 वन भूमि की विधिवत स्वीकृति एवं शा0संख्या जी.आई.–1848/ 7–1– 2009/ 600 (2012)/2008 दिनांक 22.01.2009 द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जखेड़ा–डाकघट–लमचूला मोटर मार्ग लम्बाई 10 कि0मी0 के निर्माण में आने वाली 5.425 है0 वन भूमि की भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/ 117/ 2007/ एफ्.सी./ 1854 दिनांक 17.02.2009 द्वारा विधिवत स्वीकृति एवं शा0संख्या जी. आई.–1950/ 7–1– 2009/ 600 (1846)/2007 दिनांक 20.02.2009 द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अब स्वीकृत मोटर मार्ग इन्हीं दो मोटर मार्गों को जोड़ने हेतु स्वीकृत किया गया है जो लमचूला ई0एन0एम0 सैन्टर से आरम्भ होकर गनीगांत में पूर्व निर्मित मार्ग में मिल जायेगा।

वन क्षेत्र के निकट के ग्राम होने एवं यातायात की समुचित सुविधा न होने से स्थानीय जनता अपने दैनिक उपयोग के लिए वनों पर आश्रित रहती है जिस कारण प्रतिवर्ष काफी संख्या में वृक्षों का पातन होता हैं। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से उपरोक्त ग्रामों की 1288 जनता को परिवहन एवं यातायात की सुविधा के साथ ही गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में भी मदद मिलेगी। इस क्षेत्र का शिक्षा एवं व्यापार का मुख्य केन्द्र बज्यूला है। मोटर मार्ग निर्माण होने से बच्चों को विध्यालय आने जाने में सुविधा होगी जिससे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 7 मीटर चौड़ाई में ही भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित किया गया है जिसमें अवशेष मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थलों को सम्मिलित करते हुए कुल 0.802 है0 वन भूमि एवं विभिन्न व्यास के कुल 12 चीड़ वृक्ष प्रभावित हो रहे है,। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर 21/8/15